प्रेषक,

राजीव रौतेला,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ ।

खाद्य प्रसंस्करण अनुभाग **लखनऊ:दिनांक: 07 अगस्त, 2014**

विषय :- राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन की योजनान्तर्गत एस0एल0ई0सी0 सब कमेटी द्वारा स्वीकृत प्रस्तावों की प्रथम किस्त अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-खा0प्र0मि0-1339/खा0प्र0मि0/699/13-14/ लखनऊ, दिनांक- 14/03/2014 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-431/58-2-2013-17/13, दिनांक- 08.08.2013 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन स्टेट लेबल इम्पावर्ड सब कमेटी की बैठक दिनांक: 30.08.2013 द्वारा निम्न संस्थाओं को अनुदान की संस्तुति प्रदान की गयी है :-

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र0 सं0	सूची क्रमांक	संस्था का नाम	अनुदान की धनराशि	प्रथम किस्त
1	9	मै ,0लि0गौरव फ्लोर एवं राईस मिल प्रा 0प्लाट नं 16-सी 0व ,17सेक्टर अमेठी के ,जगदीशपुर ,यल एरियास्ट्रिइण्ड 20 पना हेतुराईस मिल की स्था	50.00	25. 00
2	10	मैरण इकाई प्रसंस्कइलाहाबाद के दुग्ध ,प्राइजेज रम इण्टश्या 0 रीकरण हेतुके विस्ता	50.00	25.00
3	12	मै ,0लि0फूड्स प्रा 0एल0जे 0बरेली में बेकरी इकाई की स्थापना हेतु	50.00	25. 00
4	18	मै ,0लि0 प्रा सार्टेक्सवैभव लक्ष्मी 0महराजगंज के राइस मिल की स्थापना हेतु	50.00	25. 00

.....2/-

http://shasanadesh.up.nic.in

5	20	मै ,टस्ट्रियल स्टेबिजवार खुर्द इण्ड ,जस्ट्रीम इण्डश्री श्या 0 पना हेतुसीतापुर के राईस मिल की स्था	19.14	9.57
6	21	मैसमांश एग्रो प्रोडक्ट 0 लिमिटेडग्रेटेड मॉस कानपुर के इन्टी , रणप्रसंस्कइकाई की स्थापना हेतु	50.00	25. 00
7	22	मैबरेली के राइस ,धौरा टांडा-ज ग्रामस्ट्रीरहमान राईस इण्ड 0 पना हेतुमिल की स्था	47.58	23.79
8	23	मै ,0लि0प्रा , विवरेज फूड एण्डफ्रैण्ड्स 0मेरठ का फल सब्जी प्रसंस्करण इकाई की स्थापना हेतु	6.35	3.175
9	24	मै ,घुघचियाई रोड पूरनपुर ,जस्ट्रीइण्ड गणपति राइस 0 आधुनिकीकरण हेतु /पनापीलीभीत राइस मिल की स्था	8.00	4.00
10	26	मैखरखियान फूलपूर ,एग्रो पार्क 0लि0फूड्स प्रा 0डी0बी 0 पना हेतुवाराणसी के बेकरी इकाई की स्था	50.00	25.00
11	30	मै ,जस्ट्रीअमित इण्ड 0पीलीभीत के राइस मिल की स्थापना हेतु	9.36	4.68
		;lx	**390.43**	**195.215**

3. उक्त संस्तुति के क्रम में चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान संख्या-10 आयोजनागत पक्ष में राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन हेतु शासनादेश संख्या-32/477/58-2-2014-300(14)/2014, दिनांक-10.06.2014 द्वारा रू0-2,61,88 हजार (रूपया दो करोड़ इकसठ लाख अठठासी हजार मात्र) एवं शासनादेश संख्या-37/671/58-2-2014-300(14)/2014, दिनांक-06/08/2014 द्वारा रू0-14,73,04 हजार (रूपया चौदह करोड तिहत्तर लाख चार हजार मात्र) आपके निवर्तन पर अवमुक्त की गयी है।

4. उपलब्ध धनराशि में से तालिका में अंकित संस्थाओं को उनके सम्मुख अंकित अनुदान की प्रथम किस्त कुल धनराशि रू0-**195.215** लाख (रूपया एक करोड पन्चानबे लाख इक्कीस हजार पाँच सौ मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीक़ति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन की योजना के अन्तर्गत संचालित योजनाओं के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण/ निदेशक, मिशन द्वारा कराया जायेगा।

.....3/-

http://shasanadesh.up.nic.in

(2) अनुदान हेतु स्वीकृत प्रथम किश्त की धनराशि जारी करने से पूर्व भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार संस्था से वांछित समस्त अभिलेखों एवं औपचारिकताओं को पूर्ण कराने की कार्यवाही निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण/निदेशक, मिशन द्वारा पूर्ण करा ली जायेगी तथा उसकी पुष्टि करते हुए इस आशय का प्रमाण पत्र शासन में उपलब्ध कराया जायेगा।

(3) संस्था द्वारा संचालित योजना का स्थलीय निरीक्षण एवं भौतिक प्रगति निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण/निदेशक मिशन द्वारा किया जायेगा तथा उसकी मासिक आख्या शासन में उपलब्ध करायी जायेगी।

(4) उक्त धनराशि का उपयोग/व्यय दिनांक- 31.03.2015 से पूर्व कर लिया जायेगा तथा आडिटेड उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि को भुगतान करने से पूर्व वित्तीय नियमों/शासनादेशों तथा भारत सरकार के दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) धनराशि का व्यय किसी भिन्न प्रयोजन में नहीं किया जायेगा तथा उसी मद में किया जायेगा जिस हेतु धनराशि स्वीकृत की गयी है।

(7) उक्त धनराशि के व्यय में किसी भी प्रकार की अनियमितता हेतु आप स्वयं तथा मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी उत्तरदायी होंगे।

(8) भारत सरकार द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों/वित्तीय नियमों/शासनादेशों का अनुपालन न किये जाने अथवा किसी भी प्रकार की अनियमितता/शिथिलता पाये जाने पर दी गई अनुदान की धनराशि की सुसंगत वसूली कर ली जायेगी तथा दोषी के विरूद्ध सुसंगत नियमों के अन्तर्गत कठोर कार्यवाही की जायेगी।

(9) उक्त धनराशि का 75 प्रतिशत व्यय होने का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के उपरान्त ही अवशेष धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

(10) योजना के अन्तर्गत लाभार्थी को भुगतान किये जाने के संबंध में शासनादेश सं0-ए-1-285/दस-2012-10(29)/2011टी0सी0-।।, दिनांक: 29 मई, 2012 का पूर्णत: अनुपालन किया जायेगा।

(11) यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक-22/07/2014 में प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित निर्देशों/अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राजीव रौतेला)
विशेष सचिव।

<u>संख्या- 38/235(1)/58-2-2014, तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) कार्यालय महालेखाकार लेखा-परीक्षा (प्रथम), सत्यनिष्ठा भवन, 15 थार्न हिल रोड, इलाहाबाद।

(2) संयुक्त सचिव, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

.....4/-

http://shasanadesh.up.nic.in

(3) मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

(4) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0, लखनऊ।

(5) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।

(6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।

(7) नियोजन अनुभाग-4 उ0प्र0 शासन।

(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(विजय प्रताप सिंह)

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in